



## खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ,2006 (एफ.एस .एस .ए.) नियम और विनियम ,2011

"रोकथाम और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, नियम 1955" की जगह पर 5 अगस्त, 2011 से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियम और विनियम, 2011 नया अधिनियम लागू किया गया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की परिभाषा:

खाद्य से संबंधित विधियोंको समेकित करने और खाद्यपदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के लिए विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने के लिए अधिनियम।

इस अधिनियम के अनुसार, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार देश में सभी खाद्य व्यापार ऑपरेटरों को पंजीकृत किया जाएगा या लाइसेंस दिया जाएगा। जिन लघु खाद्य व्यापार ऑपरेटरों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक नहीं है, वह संबंधित पंजीयन प्राधिकरण से पंजीकरण करेंगे और जिन खाद्य व्यापार ऑपरेटरों का वार्षिक कारोबार 12 लाख से अधिक है, वह संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करेंगे।

खाद्य सुरक्षा और मानक के (लाइसेंसिंग और खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण) विनियम 2011 के प्रावधानों के तहत, खाद्य खानपान सेवाएं और रेल क्षेत्र से संचालन किए जा रहे रेस्टोरेंट, यह श्रेणियां केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अंतर्गत आती है।

। खाद्य व्यापार ऑपरेटरों की सूची जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं :  
(रत्नागिरी क्षेत्र -17, कारवार क्षेत्र -12)

| क्र | खाद्य व्यापार ऑपरेटर के नाम            | खाद्य प्रतिष्ठानों का स्थान                            |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | श्री.शशिकांत ए चव्हाण                  | टी स्टॉल खेड रेल्वे स्टेशन                             |
| 2   | श्री. शेखर आर रेडीज                    | टी स्टॉल रत्नागिरी रेलवे स्टेशन                        |
| 3   | M/s रक्षक सेक्युरिटास प्राइवेट लिमिटेड | रनिंग रूम रोहा<br>रुनिंग रूम वेरना<br>रुनिंग रूम मडगाव |
| 4   | वैदेही निनाद कदम                       | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                           |
| 5   | श्री रवि संजीव                         | ट्रेन क्र 16595/16596 (पंचगंगा) सूरतकल -<br>कारवार     |

|    |                                            |                                                                |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6  | श्री अरविंद गणपत लकश्री                    | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                                   |
| 7  | श्री दत्ता भोजनालय, रत्नागिरी              | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                                   |
| 8  | श्री प्रकाश वसंत फालके                     | टी स्टॉल रत्नागिरी रेलवे स्टेशन                                |
| 9  | श्री वी आर पावसकर                          | टी स्टॉल कणकवली रेलवे स्टेशन                                   |
| 10 | M/s रविकिरण केटरिंग सर्विसेस असोशिएशन (04) | ट्रेन क्र 11003/11004 और 12133 (इन ट्रेन केटरिंग)              |
| 11 | मेसर्स आहुजा एंड केअर केटरर्स (03)         | 10111/10112 एंड 10103/10104 ट्रेन पैन्ट्री कार                 |
| 12 | M/s चंद्रा केटरर्स                         | रुनिंग रूम, सूरतकल<br>ट्रेन क्र 56641<br>ट्रेन क्र 12620       |
| 13 | श्री मिलाग्रेस रोड्रिग्स                   | रैस्टोरेंट, मडगाव स्टेशन                                       |
| 14 | श्रीमती सरवणा कुमारी शर्मा पी (02)         | टी स्टॉल रत्नागिरी रेलवे स्टेशन<br>टी स्टॉल मडगाव रेलवे स्टेशन |
| 15 | श्री जालमसिंह एस पुरोहित (02)              | टी स्टॉल कुडाल रेलवे स्टेशन<br>टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन    |
| 16 | श्री संदीप रामचंद्र राणे                   | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                                   |
| 17 | अवनी फूड प्रोडक्ट्स                        | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                                   |
| 18 | रवि सुधाकर संजीव                           | टी स्टॉल चिपलून रेलवे स्टेशन                                   |
| 19 | सुनील दिनकर घोलप                           | ट्रेन क्र 12619 ((इन ट्रेन केटरिंग)                            |
| 20 | संदीप मधुकर तांबे                          | टी स्टॉल रत्नागिरी रेलवे स्टेशन                                |

II : खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 नियम और विनियम, 2011 के तहत जारी किए गए  
कुल पंजीकरण : 57

रत्नागिरी क्षेत्र - 24

कारवार क्षेत्र - 33